समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–82/2023

उपस्थित

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री एन0 के0 जोशी (तकनीकी सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी– श्री अखिलेश पुत्र श्री मोहन लाल, ग्राम बणगांव पट्टी दशगी चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक–19/19/2023
निर्णय का दिनांक– 19/09/2023

:: निर्णय ::

परिवादी श्री अखिलेश पुत्र श्री मोहन लाल, ग्राम बणगांव पट्टी दशगी चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र दिनांक 19/09/2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा राजकीय इण्टर कॉलेज श्रीकोट चिन्यालीसौड़ में आयोजित शिविर के दौरान दर्ज किया गया। परिवादी द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि संयोजन संख्या यूके14127416517 जो कि मोहन लाल के नाम से संचालित है, पर खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के बिल दिए जा रहे हैं। शिविर में विपक्षी/विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी सूर्यप्रकाश पोखरियाल उपस्थित थे। मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को उपरोक्त संयोजन की जांच कर संशोधित बिल मंच के सम्मुख पेश करने हेतु आदेशित किया गया। विपक्षी/विभाग की ओर से मौके पर संशोधित बिल पेश किया गया, जो कि रु0 395.00 (तीन सौ पिचानवे) का बना। इससे पहले यह बिल रु0 2523.00 (दो हजार पांच सौ तेईस) का था। परिवादी ने संशोधित बिल पर सहमति प्रकट जताते हुए मौके पर ही इसका भुगतान कर दिया। उपरोक्त शिकायत का शिविर के दौरान ही निस्तारण कर लिया गया।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

विपिन बनियाल 19/09/23
(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

19/9/23
(एन0के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Kirti Prasad 19/09/23
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी